पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: 27 फरवरी 2013

–:आदेश:–

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 20 की उपधारा (5) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 20 की उपधारा(5) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि "राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित माल के सम्बन्ध में आयुक्त कर एक लिखित यह आदेश दे सकते है कि उन वस्तुओं के सम्व्यवहारों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रपत्र जारी करने से पहले नकद प्रतिभूति ली जाये"।

शासन की विज्ञप्ति संख्या 156/2013/09(120)/XXVII(8)/2011 दिनांक 11–फरवरी–2013 द्वारा उक्त सम्बन्ध में निम्नलिखित 07 वस्तुओं को विज्ञापित किया गया हैं:–

1–आयरन एण्ड स्टील
2–सीमेन्ट
3–खाद्य तेल, वनस्पति तेल, अथवा ब्रान आयॅल
4–मैन्था अथवा मैन्था उत्पाद
5– नदी की बालू, रोड़ी (ग्रिट) अथवा बजरी
6–टिम्बर
7–ईट

उत्तराखण्ड में उक्त वस्तुओं में से ईट व नदी की बालू रोड़ी (ग्रिट) अथवा बजरी को प्रान्त के बाहर से आयात करते समय अधिकांश मामलों में समाधान की राशि वाणिज्य कर जांच चौकियों पर संग्रह की जाती हैं परन्तु **दिनांक 01–मार्च–2013** से वाणिज्य कर जांच चौकियों के समाप्त होने के कारण उक्त दोनो वस्तुये आयात में लिया घोषणा–पत्र **(फार्म–16)** से ही प्रान्त के बाहर से आयात कि जायेगी। पूर्व में भी उक्त दोनो वस्तुओं के सम्बन्ध में करअपवंचन की सूचनायें मिलती रही हैं जिसको देखते हुये राजस्व की सुरक्षा हेतु अग्रिम जमानत नकद जमा कराना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। अतः प्रान्त के बाहर से आयात करने वाले व्यापारियों के लिए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 20 की उपधारा (5) के अन्तर्गत यह आदेश दिया जा रहा है कि निम्न वस्तुओं के आयात हेतु उनके समक्ष दर्शायी गयी धनराशि नगद जमा करने पर ही घोषणा–पत्र (फार्म–16) जारी किये जाये।

क्रमांक	वस्तु का विवरण	समाधान राशि	क्षमता
1	**ईट**	**रू0 1500/– प्रति फार्म**	**लगभग 6000 ईट प्रति ट्रक/प्रति फार्म**
2	**नदी की बालू, रोड़ी (ग्रिट) अथवा बजरी**	**रू0 400/– प्रति फार्म**	**लगभग 300 घनफूट प्रति ट्रक/ प्रति फार्म**

उक्त जमानत की धनराशि देयकर में समायोजित की जायेगी।यदि व्यापारी किसी घोषणा–पत्र (फार्म–16) से उक्त वर्णित मात्रा से कम या अधिक का माल आयात करना घोषित करता है तो जंमानत कि ऋणात्मक व धनात्मक राशि अगली बार प्राप्त करने वाले आयात घोषणा–पत्रों के साथ समायोजित की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 9338 आवश्यक कार्यवाही हेतु
01/3/14
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, देहरादून

Notification

5009

पृ0प0सं0   /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
3- सलाहकार, कर,उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
5- एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट/प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियो/व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-3 देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।
10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
11- आई0टी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दे।
12- Intavatt Info. Pvt. 4 फ्रेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुबई-400001 महाराष्ट्र।
13- National Law House बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उ0प्र0।
14- National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उ0प्र0।
15- Swastik Publication एस0ई0-233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उ0प0।
16- Law Book Traders 10-नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0प्र0।
17- डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
18- अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19- प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
20- दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
21- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तखण्ड सर्वश्री दीवान Trading Company 81-मोती बाजार देहरादून।
22- The Whole Sale Dealers Association 14-आढ़त बाजार देहरादून।
23- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
24- कार्यालय अधीक्षक, की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
25- शोध-अनुभाग/स्थापना-अनुभाग मुख्यालय हेतु।
26- समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।